

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए  
सत्र 2022-23  
हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत



प्राप्ति  
शासकीय नवीन महाविद्यालय  
मंगचुवा, बिला-बलोद (छ.ग.)

# छत्तीसगढ़ शासन

## उच्च शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत**

सत्र 2022-23

### 1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के राजी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के नाथ सहपूर्ति करते हुए लागू होंगे तथा समरत प्राचार्य इनका पालन रुक्मिणियत करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अध्यात्म प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

### 2. प्रवेश की तिथि :-

#### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाइन" फार्म जमा कराया जाएगा। जिन नहाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश गार्डर्सिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाइन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समरत प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जना किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकरूपी प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर यिन अंकरूपी के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

#### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुनति से प्राचार्य प्रवेश देने वाले सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा रामग-रामग पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावंगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जाएंगे। कलिङ्ग 51 (क.) में उल्लेखित, कर्मचारियों के रथानांतरित होने पर प्रवेश वाली अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को रथान रिक्त होने पर ही रात्र वो दौरान प्रवेश दिया जाये दिन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार यहण करने का प्रागाण-पत्र प्ररतुत करना एवं आवेदक का

नुभाग अधिकारी

प्राचार्य विभाग, मंत्रालय

ग्राम, नवा, रायपुर (छुआ) MARGDARSHEEKA 2022-23



प्राचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय  
मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.)

विधि संकाय की आगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले लक्षण, परन्तु वह अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाए, अन्य कम वर्गान्वयन करना।

स्नातक रसर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के बाद प्रदेश के किसी भी गुणनियालय में प्रदेश के अन्य रथानों/तहसीलों/ज़िलों के निवारात् अथवा परीक्षा कर्त्त्वापूर्ण करने वाले आधेक विद्यार्थीयों को गी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रवेश ग्रहणियालय में स्थान रिक्त रहने की विधियां हैं।

आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप नियन्त्रणार होगा।

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश गे रीटों का आरक्षण तथा किरी शैक्षणिक संस्था में इनका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा। अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त रांख्या में से वर्तोंसा प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ST - 32

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से वारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। SC - 12

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े यर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। OBC - 14

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क).

(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर स्विकृत रह जाती हैं, तो इन्हें अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 122 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्घावर (पर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्ति व्यवित्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कागिकों/भूतपूर्व ऐनिक स्थानंत्रिता रूपान सेनानियों के बच्चों या व्यवित्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथारिति, उद्घावर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 रथतंत्रता संयाम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। विशेषत श्रेणी के जागेद्वयों में भिए 5 परिवर्त रथान आरक्षित संग।

सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आवश्यक होंगे।



प्राचर्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय  
गोगुवा, जिला-बातोद (छ.ग.)